

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 179वीं बैठक दिनांक 27.04.2024 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 179वीं बैठक दिनांक 27.04.2024 को प्रातः 11:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :—

1.	प्रो० आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो० अशोक कुमार मिश्रा	सदस्य
3.	प्रो० एम.एन. त्रिपाठी	सदस्य
4.	प्रो० शरद चन्द्र श्रीवास्तव	सदस्य
5.	प्रो० सीमा राय	सदस्य
6.	प्रो० राजेन्द्र मेहता	सदस्य
7.	प्रो० सी.एस. वझलवार	सदस्य
8.	प्रो० ब्रजेश तिवारी	सदस्य
9.	प्रो० एस.सी. तिवारी	सदस्य
10.	प्रो० एच.एस.तिवारी	सदस्य
11.	प्रो० रामकृष्ण प्रधान	सदस्य
12.	प्रो० पी.पी. मूर्ति	सदस्य
13.	प्रो० संतोष कुमार प्रजापति	सदस्य
14.	डॉ० बविता माझी	सदस्य
15.	डॉ० पायल बनर्जी	सदस्य
16.	डॉ० एस. श्वेता	सदस्य
17.	प्रो० भारती अहिरवार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (विकास)	विशेष आमंत्रित सदस्य
18.	प्रो० ए.एस. रणदिवे, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :—

- प्री एच.एन. चौबे, परीक्षा नियंत्रक

बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया। कुलपति महोदय ने बैठक के प्रारंभ में विश्वविद्यालय को A++ ग्रेड प्राप्त करने के लिए बधाईयां दी एवं सतत प्रयास के लिए प्रेरित किया। कुलपति महोदय ने यह भी कहा कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्य अपना लक्ष्य ऊंचा रखे जिससे आगे बढ़ने में सहायता मिले। प्रेरणादायी उद्बोधन के पश्चात् निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :—

विषय क्र.01 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 178वीं बैठक दिनांक 10.04.2024 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।

निर्णय :— निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद की स्थायी समिति की 178वीं बैठक दिनांक 10.04.2024 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की जाय।

विषय क्र. 02 विद्यापरिषद की स्थायी समिति की 178वीं बैठक दिनांक 10.04.2024 के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन करना।

निर्णय :— विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने स्थायी समिति की 178वीं बैठक दिनांक 10.04.2024 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की एवं कृत कार्यवाही की पुष्टि की।

विषय क्र. 03. रासेयो स्वयं सेवकों के द्वारा सारथी योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय कैम्पस के अंतर्गत ई-रिक्शा चलाये जाने के संबंध में विचार।

निर्णय :- विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि रासेयो स्वयं सेवकों के द्वारा सारथी योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय कैम्पस के अंतर्गत ई-रिक्शा चलाये जाने संबंधी प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 04. विश्वविद्यालय परिसर में जल के सदुपयोग एवं अपव्यय को रोकने हेतु जल मित्र बनाये जाने के संबंध में विचार।

निर्णय :- विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय परिसर में जल के सदुपयोग एवं अपव्यय को रोकने हेतु जल मित्र बनाये जाने संबंधी प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि डॉ० प्रतीक गुप्ता के विभाग का नाम मेकैनिकल इंजीनियरिंग विभाग पढ़ा जाय।

विषय क्र. 05. अध्ययन मण्डल सिविल इंजीनियरिंग विभाग की अनुशांसित Pre-Ph.D. Course Work पाठ्यक्रम/अंक योजना का अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :- विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अध्ययन मण्डल सिविल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा अनुशांसित Pre-Ph.D. Course Work पाठ्यक्रम/अंक योजना का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना प्रभावी अध्यादेश के प्रावधानों के अनुरूप हो।

विषय क्र. 06. परीक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न आवेदन प्रपत्रों के अनुमोदन पर विचार करने के संबंध में।

निर्णय :- विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि परीक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न आवेदन प्रपत्रों के प्रारूपों का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रारूपों में जिन स्थानों पर Medium लिखा है के स्थान पर Medium of instructions लिखा जाय।

विषय क्र. 07. डॉ० रोहित सेठ, सह-आचार्य, प्राणीशास्त्र विभाग की विभाग से अनुपस्थिति के संबंध में।

निर्णय :- विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि डॉ० रोहित सेठ, सह-आचार्य के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित करने संबंधी आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

विषय क्र. 08. प्रो० सरल प्रसाद घोष, निदेशक, मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज, कोलकाता को राजनीति विज्ञान विभाग में Adjunct Professor के रूप में नियुक्त किये जाने पर विचार।

निर्णय :- विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रो० सरल प्रसाद घोष, निदेशक, मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज, कोलकाता को राजनीति विज्ञान विभाग में Adjunct Professor के रूप में नियुक्ति प्रदान करने संबंधी आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

अ.अ.वि.क्र.01 डी.फार्मा (ओल्ड कोर्स) चार छात्रों की स्पेशल परीक्षा कराये जाने पर विचार।

निर्णय :— विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रकरण पर प्रभावी अध्यादेश एवं नियम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

अ.अ.वि.क्र.02 स्थायी समिति के समक्ष एआईसीटीई से प्राप्त दिशा-निर्देश जिसमें ऐच्छिक विषयों के आबंटन संबंधी दिशा-निर्देश हैं, प्रस्तुत किया गया।

निर्णय :— विचारोपरान्त विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में एआईसीटीई से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐच्छिक विषय आबंटन संबंधी आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि उक्त कार्यों हेतु एक समन्वयक नियुक्ति किया जाय। समन्वयक नियुक्ति किये जाने हेतु कुलपति महोदय स्थायी समिति की ओर से अधिकृत रहेंगे।

अ.अ.वि.क्र.03 विश्वविद्यालय को A++ ग्रेड प्राप्त हो चुका है, अतः विश्वविद्यालय के सभी दस्तावेजों में इस ग्रेड का उल्लेख किया जाने की आवश्यकता स्थायी समिति ने महसूस की एवं विचारोपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिया—

1. विश्वविद्यालय के द्वारा जारी होने वाले सभी पत्रों प्रपत्रों दस्तावेजों के लेटर हेड में A++ ग्रेड का उल्लेख किया जाय।
2. विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर भी A++ ग्रेड का उल्लेख कराया जाय।
3. विश्वविद्यालय के परिसर या आस-पास विश्वविद्यालय द्वारा लगाये गये डिस्प्ले बोर्ड में भी A++ ग्रेड अंकित कराया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।


K. Kanade
27-04-2024
कुलसचिव (कार्यवाहक) / सचिव

मिशन
27/04/2024
कुलपति / अध्यक्ष